



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'साँदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-
122007



C/CP/RTI/2016/110

Date: 28th June, 2016

Smt. Kanta Singh
W/o Late Awadesh Singh
Village-Hathoara Bujurg
Near Sai Baba Mandir
Post Office-Roja, Shahajanpur
Uttar Pradesh-242001

Sub: Information under Right to Information Act, 2005 (Application No. 110 dated
NIL.)

Dear Smt. Singh,

This has reference to your RTI request dated NIL (received on 2nd June, 2016) seeking
information under RTI Act, 2005.

The information sought is attached at **Annex-I&II**.

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate
Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate
Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Shri B. Mishra
Executive Director (CP & IT) & Appellate Authority
Corporate Centre, Power Grid Corporation of India Limited
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon – 122007, Haryana.
Email ID: bmishra@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571960

Thanking you,

भवदीय,

सतीश
28/6/16

(सतीश कुमार जे.)

उप महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Phone No. 0124-2822746

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

स्वर्गीय अवधेश सिंह, कर्मचारी संख्या – 15208 जिनकी मृत्यु दिनांक 02/03/2015 को हुई थी, की पत्नी को दो प्रकार की पेंशन देय है ।

1. कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संस्था (ईपीएफओ) से देय पेंशन:- यह पेंशन का आवेदन हमारे कार्यालय में दिनांक 5/9/2015 को प्राप्त हुआ और दिल्ली स्थित प्रोविडेंट कार्यालय द्वारा इसका निपटान दिनांक 18/02/2016 को कर प्रोविडेंट फंड कार्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश को पेंशन देने व आदेश निर्गत करने के लिए सूचित किया जा चुका है (कापी संलग्न) यह पेंशन आपको दिनांक 02/03/2015 से ही देय होगी जिसके लिए आप भविष्य निधि कार्यालय बरेली से संपर्क कर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं ।
2. Powergrid Employees Defined Contribution Superannuation Benefit (Pension) Scheme: पावरग्रिड के कर्मचारियों के लिए यह पेंशन स्कीम जोकि वर्तमान में एलआईसी कार्यालय 7वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के जी मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, के अंतर्गत आपको दिनांक 01/01/2016 से ही रुपये 6880/- मासिक पेंशन दी जा रही है । इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि इस पेंशन राशि की एन्यूटी संख्या – 011M1214158550 है तथा पॉलिसी संख्या – 342689 है । आपको जो पेंशन रुपये 6880/- एल आई सी द्वारा सीधे बैंक में भेजी जा रही है उसके अंतर्गत एलआईसी में कुल जमा राशि रुपये 11,41,984/- (ग्यारह लाख इक्तालीस हजार नौ सौ चौरासी रुपये मात्र) हैं जोकि भविष्य में नामिनी को देय होगी । इस पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष एल आई सी को जीवन प्रमाण पत्र जिसकी कापी संलग्न कर रहे हैं, को सीधे एलआईसी कार्यालय दिल्ली में जमा करना होगा ।

ANNEX - II

Reply to RTI Query by Smt. Kanta Singh

1	Informa tion sought	Regarding the provision for employment of dependent family member of deceased employee of POWERGRID.
	Reply	The following provision exists in POWERGRID : <ul style="list-style-type: none">• Provison for employment of one dependent of an employee posted in hardship station who dies or gets totally disabled by any act of terrorist• Employment to one dependent of each employee who is permanently disabled or dies as a result of accident while on duty. Dependent for the purpose means spouse of the employee, his/her son or daughter or legally adopted son/daughter.

RAM